

(क)

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. किसी भी उस अभ्यर्थी को दीक्षान्त वितान में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिसने विश्वविद्यालय, द्वारा निर्धारित उत्तरीय धारण नहीं की है।
2. उत्तरीय अभ्यर्थियों को सहायक-कुलसचिव (प्रशासन) डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क परिसर, शोध विभाग, आगरा में दिनांक 08 एवं 09 अक्टूबर 2019 को (मंगलवार व बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक सहायक-कुलसचिव प्रशासन विभाग डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क परिसर एवं 10 अक्टूबर 2019 (गुरुवार) को सेठ पदम चन्द जैन संस्थान खंदारी परिसर आगरा में प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक उपलब्ध कराई जायेगी।
उपाधि-पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उपाधि-अनुमति प्रपत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी की मुहर दीक्षान्त समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्ति के प्रमाण-स्वरूप न लगवा ली जायें।
3. यह प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा सहायक-कुलसचिव (प्रशासन) को दिया जाना चाहिए तथा निर्धारित धनराशि रू० 150/- देकर उत्तरीय प्राप्त करना चाहिए।
4. दीक्षान्त समारोह समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी उत्तरीय को विश्वविद्यालय सहायक-कुलसचिव (प्रशासन) को सुरक्षित लौटाने का स्वयं उत्तरादायी है।
5. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह दीक्षान्त समारोह समाप्त होने के पश्चात् उत्तरीय को लौटा दें तथा रू० 100/- वापिस प्राप्त कर लें। किसी प्रकार के विवाद की दशा में न्यायालय क्षेत्र आगरा में ही होगा।
6. अभ्यर्थियों को परामर्श है कि वे उत्तरीय लौटाने की रसीद को भली-भाँति सुरक्षित रखें।

